न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 64/2022

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. सरोज देवी पुत्री जोगाराम जाति मेघवाल निवासी– ग्राम धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 06/6/22

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम पोटलिया, पटवार हल्का लाणेरा, भू.अ.नि.क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीया की निम्नानुसार संयुक्त खातेदारी की कब्ज काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 53 54 55 56 57 61 82 83 कुल खसरा 09 कुल रकबा 9. 5300 हैक्टर किस्म बा0दो0बा0अ0 उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता जोगाराम पुत्र खरताराम के नाम की संयुक्त खातेदारी की दर्ज थी। जोगाराम पुत्र खरताराम की मृत्यु दिनांक 21/02/1999 को हो गई थी। प्रार्थीया के पिता के मृत्यु होने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया, उक्त फोतेदगी म्यूटेशन संख्या 390 दिनांक 17/01/2008 को भरा गया, जिसका विवरण सम्वत् 2005 की जमाबन्दी में स्पष्टतः उल्लेख है। फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 390 दिनांक 17/01/2008 की अनुपालना में राजस्व रेकर्ड में जोगाराम पुत्र खरताराम के स्थान पर उनके एकमात्र विधिक वारिसान प्रार्थीया का नाम इन्द्राज किया गया, लेकिन सहवन की त्रुटी से सरोज देवी पुत्री जोगाराम के स्थान पर सरोज पुत्री गंगाराम दर्ज कर दिया गया, जो की राजस्व अधिकारीयो द्वारा गलती से जोगाराम के स्थान पर गंगाराम दर्ज कर दिया गया है, जिसको दुरूस्त करवाने का अधिकार प्रार्थीया को है, जिस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्व भू–राजस्थान अधिनियम का न्यायालय हाजा में पेश है। प्रधानमंत्री कृषि योजना व राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की काश्तकारो के सम्बंध में योजना का लाभ लेने हेतु प्रार्थीया द्वारा पटवार कार्यालय से अपनी खातेदारी कृषि भूमि की जमाबन्दी प्राप्त की, तो प्रार्थीया को जानकारी हुई कि सरोज पुत्री जोगाराम के स्थान पर गलती से सरोज पुत्री गंगाराम दर्ज कर दिया गया है, तत्पश्चात् प्रार्थीया द्वारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

31/03/2022 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीया प्राप्त की, तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड अधिकारीयो से उपरोक्त दुरूस्ती को सुधारने हेतु कहा तो उन्होंने कहा कि श्रीमान असिस्टेन्ट कलेक्टर महोदय, सोजत के आदेश के पश्चात् ही उपरोक्त गलती को दुरूस्त किया जा सकता है। अतः न्यायालय हाजा में उपरोक्त अन्दर म्याद प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम पोटलिया, पटवार हल्का लाणेरा, भू.अ.नि.क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत में होने से न्यायालय हाजा को उपरोक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सरोज पुत्री गंगाराम के स्थान पर सरोज पुत्री जोगाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करना चाहने से जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 31.05.2022 को बन्द किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में प्राथीया के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी वर्ष 2005, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2066–69, 2074–77, प्रार्थिया के आधार कार्ड की फोटो प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थीया के 10वी की मार्कशीट, मतदाता सूचना पत्र निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि मौजा ग्राम पोटलिया, पटवार हल्का लाणेरा, भू.अ.नि.क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीया की निम्नानुसार संयुक्त खातेदारी की कब्ज काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 53 54 55 56 57 61 82 83 कुल खसरा 1.1400 है0 किस्म बा0दो0बा0अ0 कुल खसरे 09 कुल रकबा 9.5300 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज सरोज पुत्री गंगाराम के स्थान पर के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से सरोज पुत्री जोगाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात प्राथीया के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी वर्ष 2005, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2066–69, 2074–77, प्रार्थिया के आधार कार्ड की फोटो प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थीया के 10वी की मार्कशीट, मतदाता सूचना पत्र निर्वाचन आयोग पहचान पत्र उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ पत्रों मय उक्त दस्तावेजात तथा नामान्तरणकरण संख्या 390 की प्रमाणित प्रति का गहनतापूर्वक अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी से साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 390 की प्रमाणित प्रति में प्रार्थीया की वल्दियत में पिता का नाम जोगाराम अंकित है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित मौजा ग्राम पोटलिया, पटवार हल्का लाणेरा, भू.अ.नि.क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कब्ज काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 53 54 55 56 57 61 82 83 कुल खसरे 09 कुल रकबा 9.5300 हैक्टर किस्म बा0दो0बा0अ0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम सरोज पुत्री गंगाराम के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से सरोज पुत्री जोगाराम दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा ग्राम पोटलिया, पटवार हल्का लाणेरा, भू.अ.नि.क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कब्ज काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 53 54 55 56 57 61 82 83 कुल खसरा 09 कुल रकबा 9.5300 हैक्टर किस्म बा0दो0बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम सरोज पुत्री गंगारामके स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से सरोज पुत्री जोगाराम दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 06/06/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत